

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरगा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/ 5723

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 03.07.25

अप्रार्थीगण

दीपक कुमार पुत्र श्री छगनाराम
जाति कुम्हार निवासी सुथारों की
ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

1.मिश्री देवी पत्नी पुरखाराम 2.मंजू पत्नी लूणाराम
3.अशोक कुमार पुत्र सागराराम 4.समदा देवी पत्नी
सागराराम 5.जुंझाराम 6.स्वरूपाराम पिसरान
लूणाराम जातियान सुथार निवासीयान सुथारों की
ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला
बाड़मेर व जिला बाड़मेर 7.राजेन्द्र गुप्ता वर्तमान
पता रिलायंस पेट्रोल पम्प सुथारों की ढाणी,
भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 301/2023

दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 401/180 रकबा 0.1619 हैकटेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरगा राम)


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 5724-27

दिनांक- 03.07.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी दीपक कुमार पुत्र श्री छगनाराम जाति कुम्हार निवासी सुथारों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मिश्री देवी पत्नी पुरखाराम जाति सुथार निवासी सुथारों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर